

राज्य सभा सचिवालय
विमान द्वारा यात्रा के लिये विनियम आदेश जारी करने हेतु अधियाचन

मेरा विचार विमान द्वारा निम्नलिखित यात्रा/यात्रायें करने का है और उसके लिए मेरा निवेदन है कि विनियम आदेश जारी कर दिया जाए, जिससे मैं इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से टिकट/टिकटें ले सकूँ:-

यात्रा का प्रयोजन (देखिए पाद-टिप्पण संख्या 1)	यात्रा की तारीख	से	तक	आई.ए.सी. सेवा संख्या	आहार चयन (शाकाहारी अथवा मांसाहारी)	सम्पर्क के लिए पता तथा टेलीफोन नम्बर

- मेरा सामान्य निवास/स्थान.....(देखिए पाद-टिप्पण संख्या-2) और वहां से निकटतम हवाई अड्डा है (हवाई अड्डे का नाम)।
- उपरोक्त यात्रा/यात्राओं के लिए टिकट/टिकटों की कीमत (देखिए पाद-टिप्पण संख्या-3) इस सम्बन्ध में मेरे यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सम्बन्धी दावे में समायोजित कर दी जाये और आई.ए.सी. का बिल, जब भी प्राप्त हो, उसका निपटारा कर दिया जाये।

हस्ताक्षर.....

सदस्य का नाम.....

पहचान-पत्र संख्या.....

दिनांक

- विनियम आदेश की सुविधा का लाभ निम्नलिखित यात्राओं, में से किसी एक के लिए उठाया जा सकेगा:-
(i) संसद सदस्यों के वेतनमान तथा भत्ते अधिनियम, 1954 की धारा 4 के अधीन प्रस्थान और वापसी यात्राएं।
(ii) उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 के परन्तुक-2 के अधीन अन्तः यात्रा/यात्रायें।
- विनियम आदेश केवल लघुतम और सीधे मार्ग से की गई विमान यात्राओं के लिए ही उपलब्ध होगा।
- यदि किसी सदस्य ने विनियम आदेश पर टिकट ले लिया हो किन्तु उस पर यात्रा न की हो तो उस स्थिति में टिकट रद्द करने के लिए आई.ए.सी. को देश प्रभार, यदि कोई हो, स्वयं सदस्य द्वारा वहन किये जायेंगे।
- यह अधियाचन पत्र आई.ए.सी. से सीट आदि मिलने के बारे में निश्चय करके यात्रा की प्रस्तावित तारीख से काफी पहले राज्य सभा के नोटिस ऑफिस में दिया जाएगा।
- यदि विनियम आदेश का उपयोग नहीं किया गया तो उसे राज्य सभा सचिवालय को लौटा दिया जाएगा।